

ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

रा०वि० वाद सं०- 04 / 22-23


मो० गौहर अली बनाम् मु० नैयर वगै०

-: आदेश :-


वर्तमान वाद आवेदक मो० गौहर अली, पे०-स्व० शे० जमतुला, सा०-सीनपुर, थाना-महागामा, जिला-गोड्डा के आवेदन पर मौजा-सामुकिता नं०-436 में करपदार नियुक्त करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है। तदनुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरुद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया तथा अंचल अधिकारी, महागामा से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, शपथ पत्र सं०-33186, दिनांक-23.12.2022 एवं अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक-1701/रा०, दिनांक-28.12.2022 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन, 16 आना रैयत से प्राप्त अनापत्ति तथा अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत मौजा- सामुकिता नं०-436 के प्रधान मो० गौहर अली कार्यरत हैं। वर्तमान प्रधान का उम्र अधिक हो जाने के कारण अपने पोता मो० नैयर अली, पे०-स्व० मुबारक अली, सा०-सीनपुर को उक्त मौजा का करपदार के पद पर नियुक्त किया जाता है। अंचल अधिकारी, महागामा को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


11.04.23

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।


11.04.23

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen.
Bande Kumar Singh
Adh.
24/07/23

04.2023